

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमराँव
स्वत्व वाद सं०-43 / 2024

राजकुमारी देवी वगै०वादिनीगण।

बनाम्

जनार्दन सिंह उर्फ फागु सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण।

आदेश

04.06.2025

वादिनी की हाजिरी है। वादिनी राजकुमारी देवी की ओर से शपथ पत्र के साथ दिनांक 29.05.2025 को प्रतिस्थापन हेतु आदेवन दिया गया कि मृत प्रतिवादी सं० 01 जनार्दन सिंह उर्फ फागु सिंह अपने कानूनी वारीसान को छोड़कर दिनांक 05.03.2025 को बफात कर गये हैं। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 05.03.2025 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी सं० 01 जनार्दन सिंह उर्फ फागु सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा अनुरोध करते हैं कि मृत प्रतिवादी सं० 01 जनार्दन सिंह उर्फ फागु सिंह का नाम कलमजद करते हुए उनके कानूनी वारीसानों मु० सुनीता देवी, मंजी कुमार, छोटु कुमार, निरज कुमार उर्फ नन्हकु, कविता देवी, लक्ष्मीनिया देवी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति अंकित नहीं किया गया है। वादिनी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में वादिनी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 29.05.2025 को बिना खर्च के स्वीकृत किया जाता है तथा मृत प्रतिवादी सं० 01 जनार्दन सिंह उर्फ फागु सिंह का नाम कलमजद करते हुए उनके कानूनी वारीसानों मु० सुनीता देवी, मंजी कुमार, छोटु कुमार, निरज कुमार उर्फ नन्हकु, कविता देवी, लक्ष्मीना देवी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

दिनांक-25.06.2025 वास्ते सुनवाई हेतु।

लेखापित

(गौरी शंकर)

सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमराँव (बक्सर)